Sixteenth Loksabha

an>

Title: Presentation of 47th, 48th, 49th, 50th, 51st, 52nd, 53rd, 54th, 55th and 56th Reports of the Committee on Petitions.

श्री भगत सिंह कोश्यारी (नैनीताल-ऊधम सिंह नगर): महोदया, मैं याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) प्राधिकारियों द्वारा मैसर्स महालक्ष्मी इन्फ्राकान्ट्रेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को कार्य पूरा किए बगैर भुगतान करने में कथित रूप से घोर वित्तीय अनियमितताएं बरतने के बारे में श्री सुभाष कुमार सिंह से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 47वां प्रतिवेदन ।

(2) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/लोक उद्यम विभाग (डीओपीटी/डीपीई) के दिशा-निर्देशों के कथित उल्लंघन के बारे में श्री डी. शिवामूर्ति से प्राप्त तथा श्री सुरेश अंगड़ी, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा अग्रेषित अभ्यावेदन के बारे में 48वां प्रतिवेदन ।

(3) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के रूपांतरण/निजीकरण तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारियों के आरक्षण अधिकारों के संरक्षण एवं संबंधित मुद्दों के बारे में सर्वश्री अरविन्द सावंत और राजन विचारे, संसद सदस्य, लोक सभा से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति के 31वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में की गई समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 49वां प्रतिवेदन ।

(4) भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करने के लिए तंत्र के बारे में श्री वी.पी. बलवतकर से प्राप्त अभ्यावेदन के संदर्भ में याचिका समिति के 33वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा कीकार्यवाही-गई- संबंधी 50वां प्रतिवेदन ।

(5) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) द्वारा मैसर्स सद्भाव अन्नापूर्ण (जेवी) को कार्य पूरा किए बगैर पूर्ण संविदा राशि का भुगतान करने के बारे में श्री सुभाष कुमार सिंह से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 51वां प्रतिवेदन ।

(6) सुश्री पारुल कौल के पति श्री रजनीश कौल द्वारा उसके साथ क्रूरतापूर्ण बर्ताव करने, आपराधिक न्यास भंग, सामान्य आशय को अग्रसर करने हेतु किए गए कृत्यों के लिए प्रत्यर्पित करने में की गई अत्यधिक देरी के बारे में सुश्री पारुल कौल के पिता श्री टी.के. कौल से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 52वां प्रतिवेदन । 21

(7) एचएमटी, पिंजौर के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने और इसकी ट्रेक्टर इकाई को फिर से चालू करने के बारे में सर्वश्री राम शरन कांतिवाल और महेन्द्र सिंह से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 53वां प्रतिवेदन ।

(8) तेजपुर रेलवे स्टेशन तक ब्रोडगेज लाईन का विस्तार करने के संबंध में श्री जितेन सुंडी और अन्य से प्राप्त तथा श्री जितेन्द्र चौधरी, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा अग्रेषित अभ्यावेदन के बारे में 54वां प्रतिवेदन ।

(9) देश में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा का प्रावधान और उससे सम्बद्ध अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में डॉ. मधुसूदन दीक्षित से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति के 25वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में की गई समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 55वां प्रतिवेदन ।

(10) देश में ह्यूमन इम्यूनोडिफिसिएंसी वायरस (एचआईवी)/एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिसिएंसी सिंड्रोम (एड्स) रोगियों की कथित उपेक्षा किए जाने के बारे में श्री डी.के. जोशी से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति के 26वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 56वां प्रतिवेदन ।